यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, नलकूप खण्ड, रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, नलकूप खण्ड, रूड़की के माह 08/2016 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों, श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/07/2017 से 08/08/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजेश सन्हा एवं श्री पी.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 06/08/2016 से 20/08/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2015 से 07/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2016 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ट्यूबेल का निर्माण/रूड़की , भगवानपुर एवं नारसन ब्लाक।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	4700,2702	1813.21	1813.21	115.20	115.20	-	-
2015-16	4700,2702	2814.12	2807.77	203.68	193.99	6.35	9.69
2016-17	4700,2702	3526.92	3526.92	96.60	96.60	-	
2017-18 (06/17 तक)	4700,2702	580.79	204.47	27.00	19.26	-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता
अ धशासी अ भयन्ता
सहायक अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, नलकूप खण्ड, रूड़की को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, नलकूप खण्ड, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। Tubewell STW N-145 LG का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 12/03/2015 से 18/12/2015 का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2012 तथा 09/2013 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 05/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - Nil

   भाग द् वतीय - ₹ (-) 37815/-

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 06/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 83687/-

   (ख) सामग्री क्रय – Nil

   (ग) नगद परिशोधन - Nil

   (घ) निक्षेप- ₹ (-) 1444976/-

   (ङ) भण्डार- ₹ 38848419/-

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1- 53 असंचा लत नलकूपों से उसके निर्माण पर कये गये व्यय 2280.50 लाख का अलाभकारी रहना।

अ धशासी अ भयन्ता नलकूप खण्ड, रूड़की के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2017) क खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 1973 से वर्ष 2017 के मध्य नि र्मत 238 नलकूपों में से 53 नलकूप ऐसे थे जिनका संचालन खण्ड द्वारा नहीं कया जा रहा था एवं वे असंचा लत अवस्था में थे। जिसका ववरण निम्न है।

नलकूप का निर्माण वर्ष	वर्तमान में असंचा लत नलकूपों की संख्या
1973	01
1981	01
2013	03
2014	04
2015	34
2016	04
2017	06
कुल	53

उक्त नलकूपों में से कसी प्रकार की सींच का ववरण भी खण्ड के पास उपलब्ध नहीं था जिससे न केवल उक्तां कत नलकूपों के निर्माण पर व्यय धनरा श 2280.50 लाख अलाभकारी थी अ पतु उससे प्राप्त होने वाली राजस्व की धनरा श से भी शासन को वं चत होना पड़ा।

उक्त की ओर इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया क खण्ड के अंतर्गत नि र्मत नलकूपों के सापेक्ष नलकूप चालकों की संख्या में कमी होने के कारण उक्त 53 नलकूप अंसंचा लत थी। खण्ड द्वारा यह भी स्वीकार्य कया गया क खण्ड के पास सींच क्षेत्र के आकड़े शून्य हैं तथा नलकूपों के चा लत अवस्था में रहने पर ही राजस्व का आकलन कया जा सकता था।

खण्ड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क वभागीय श थलता के कारण न केवल 53 नलकूप असंचा लत अवस्था में होने के कारण उनके निर्माण में कया गया व्यय 2280.50 लाख एक अलाभकारी व्यय था। अ पतु उससे राजस्व प्राप्ति की हानि भी हो रही थी, का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 2- वभागयी श थलता के कारण यू.पी.सी.एल को ऊर्जीकरण हेतु 26.50 लाख प्रदान करने के बाद भी 252.39 लाख की 10 नलकूप योजनाओं का अनुपयोगी रहना।

अ भयन्ता, नलकूप खंड, रूड़की के अ भलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2017) में पाया गया क खण्ड के अंतर्गत वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के मध्य नि र्मत 10 नलकूप जिनकी नि र्मत लागत 252.39 लाख थी, के ऊर्जिकरण हेतु वद्युत वतरण खण्ड / यू.पी.सी.एल. को निम्नानुसार धनरा श (कुल 26.50 लाख) दी गयी थी।

क्रम सं.	नलकूप सं.	माह/वर्ष	ऊर्जीकरण हेतु जमा धनरा श
1.	113 एलजी	09/2013	171108.00
2.	93 एलजी	09/2014	289071.00
3.	81 एलजी	09/2014	237131.00
4.	109 एलजी	10/2015	358527.00
5.	87 एलजी	10/2015	243137.00
6.	92 एलजी	12/2016	132265.00
7.	347 एलजी	05/2015	333609.00
8.	102 एलजी	04/2016	239457.00
9.	06 एलजी	11/2016	460649.00
10.	352 एलजी	11/2016	185962.00
		कुल योग	2649922.00

जिसका ऊर्जीकरण वर्तमान तक नहीं कया गया था जिससे न केवल उक्त नलकूपों के निर्माण पर कया गया व्यय 252.39 लाख की धनरा श अवरूद्ध थी अ पतु उक्त के संचालन से प्राप्त होने वाली राजस्व के धनरा श की भी हानि हो रही थी।

उक्त की ओर इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क वद्युत वभाग द्वारा ऊर्जिकरण में वलम्ब कया जा रहा था। जिसके लए खण्ड द्वारा लगातार प्रयास कया जा रहे थे। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क खण्ड द्वारा ऊर्जिकरण की धनरा श 26.50 लाख जमा करने से पूर्व UPCL के साथ न ही कोई Term & Conditions हस्ताक्षरित की गई थी और न ही ऊर्जीकरण हेतु जमा धनरा श पर कोई ब्याज जैसी शर्ते लगाई गई थी।

अतः ऊर्जीकरण हेतु 26.50 लाख की धनरा श यू.पी.सी.एल. को देने के पश्चात भी उसके निर्माण वर्ष के 9 माह से 48 माह बाद भी ऊर्जीकरण न होने से वभागीय श थलता के कारण धनरा श 252.39 लाख की 10 नलकूप योजनाए अनुपयोगी रहने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

प्रस्तर 3- अ धप्राप्ति नियमावली की अनदेखी कर 2.52 करोड़ की सामग्री कोटेशन द्वारा क्रय कया जाना।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार सामग्री क्रय करते समय यथासाध्य अ धकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अ धप्राप्ति की जाए एवं अ धप्राप्ति मूल्य कम करने के लए आवश्यक मात्रा को वभाजित नहीं कया जाए और उच्चतर प्रा धकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लए छोटे-छोटे भागों में वभक्त न कया जाए साथ ही 60 लाख तथा उसमें अ धक लागत की अ धप्राप्ति हेतु कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में वज्ञापन द्वारा नि वदा आमत्रंण कर अ धप्राप्ति की जाए।

नलकूप खण्ड रूड़की की लेखापरीक्षा (माह 07/2017) में पाया गया क खण्ड को नाबार्ड 20 के अन्तर्गत नलकूप निर्माण एवं अन्य एम.एण्ड.आर से संबं धत कार्यों हेतु खण्ड द्वारा माह 08/2016 से 06/2017 के मध्य कुल 111 आपूर्तियों जो कुल 25209231/- की थी एवं छोटे-छोटे भागों में वभाजित कर की गयी थी एवं कोटेशन के माध्य से की गयी थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया क नियमानुसार खण्ड को उपरोक्त सामग्री की अ धप्राप्ति यथासाध्य अ धकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ एवं नि वदा आमत्रंण द्वारा की जानी चाहिए थी कन्तु खण्ड द्वारा ऐसा न कर स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे भागों में वभाजित कर कोटेशन द्वारा की गयी जिसमें वभाग प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से वं चत रहा।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया क तत्का लक रूप से कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यकतानुसार समय-समय पर राजकीय कार्यहित में कोटेशन के आधार पर कार्य कराये गये। उत्तर मान्य नहीं था क्यों क खण्ड द्वारा नियमों की अवमानना कर अ धप्राप्ति की गयी थी साथ ही खण्ड के पाये भंडार में कुल 3.88 करोड़ की सामग्री भी पड़ी हुई थी यदि तत्का लक रूप में आवश्यकता हो तो इतना अ धक स्टाक खण्ड के पास न पड़ा होता।

अतः नि वदा की कार्यवाही न कर कोटेशन के आधार पर 2.52 करोड़ की सामग्री अ धप्राप्ति करने का प्रमाण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1**- प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व अनुबंध गठित कया जाना एवं ठेकेदार से 1,53,000/- की धनरा श न वसूला जाना।

खण्ड द्वारा नाबार्ड RIDF -20 (06 नलकूप) योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूप संस्था 116HG के निर्माण हेतु 85.960 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति माह 02/2015 में प्राप्त की गई थी। प्रा व धक स्वीकृति माह 08/2015 में प्राप्त की गई थी। खण्ड द्वारा छिद्रण एवं वकसन कार्य हेतु दिनांक 18.03.2015 यानि प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त होने (08/2015) से लगभग पांच माह पूर्व में ही अनुबंध सं. 16/EE/2014-15 दिनांक 18/03/2015 धनरा श 15,30,000/- का अनुबंध गठित कया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अन्तिम ति थ दिनांक 17/05/2015 तय थी। परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य दिनांक 31/07/2015 यानि 75 दिन वलम्ब से एवं प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही पूरा कया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार यदि ठेकेदार तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार से अनुबं धत समय सीमा से वास्त वक कार्य पूरा करने की ति थ तक प्रतिदिन अनुबन्धित लागत का 1 प्रतिशत अ धकतम अनुबं धत लागत का 10 प्रतिशत दण्ड के रूप में वसूला जाना था। इस प्रकार 1 % x 15,30,000x75 = 11,47,000/- अ धकतम 10 % of 15,30,000/- = 1,53,000/- यानि 1,53,000/- दण्ड के रूप में वसूला जाना था परन्तु खण्ड द्वारा ठेकेदार से दण्ड की धनरा श 1,53,000/- नही वसूली गई। दण्ड न वसूले जाने के बारे में पूछे जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया क कृषकों द्वारा भू म ववाद पैदा कया गया पुनः सहमति के उपरान्त कार्य पूर्ण कया गया। प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त करने से पहले कार्य प्रारम्भ कये जाने के संबध में उत्तर दिया गया क TS प्राप्त होने की प्रत्यासा में अनुबंध गठित कया जिससे समय पर कार्य पूर्ण हो सके।

लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्यों कः-

1. खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा के समक्ष न तो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत कया गया जिससे यह स्पष्ट होता है क कृषकों द्वारा भू म ववाद पैदा कया जाने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य वलम्ब से पूरा कया गया और न ही सक्षम अ धकारी द्वारा ठेकेदार को TIME EXTENSION की अनुमति प्रदान करने से संबं धत कोई आदेश पत्र की प्रति साक्ष्य के रूप में अपने उत्तर के साथ संलग्न कया।
2. नियमानुसार प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबंध गठित कये जाने का प्रावधान है। प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्यासा में अनुबंध गठित कया जाना अनु चत था।

अतः खण्ड द्वारा प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व अनुबंध गठित करने एवं ठेकेदार से 1,53,000/- की धनरा श न वसूलने के प्रकरण को उच्च अ धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
96/2010-11	1,2	-
89/2011-12	-	1,2
12/2013-14	-	-
46/2015-16	-	1,2,3,4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, नलकूप खण्ड, रूड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1. श्री ईश्वर संह फोनिया,	अ धशासी अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री सतीश कुमार 08/06/2017 तक

(ii) श्री देवेन्द्र संह 09/06/2017 से

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, नलकूप खण्ड, रूड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II